अनुबंध-2

पदों के लिए भर्ती नियम बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजते समय मंत्रालय / विभाग द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1	क) पदों के नाम	
	ख) मंत्रालय / विभाग का नाम	
	ग) पदों की संख्या	
	घ) वेतनमान	
	ङ) श्रेणी एवं सेवा जिससे पद संबंधित है	
	च) एफ आर 9 (17)-अनुसचिवीय या अननुसचिवीय	
2.	नियोक्ता प्राधिकारी	
3.	पद से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण	
4.	मौजूदा पदों को भरने के लिए अपनाए गए तरीकों का संक्षेप में उल्लेख	
5.	भर्ती की प्रस्तावित पद्धति	
6.	भर्ती की पद्धति के तौर पर यदि पदोन्नति को प्रस्तावित किया गया है :	
	क) पदोन्नति के क्षेत्र में शामिल किए गए प्रस्तावित पदों के पदनाम और उनकी संख्या	
	ख) पदोन्नति के लिए अर्हक होने के लिए क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए निर्धारित की जाने वाली प्रस्तावित अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या (भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार)	
	ग) ग्रेड में पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों का प्रतिशत	
	घ) क्या पदोन्नति के क्षेत्र में प्रस्तावित पद के लिए भर्ती नियम बनाए गए हैं ? यदि आयोग से परामर्श कर बनाए गए है, तो कृपया आयोग की सन्दर्भ सं. का उल्लेख करें। यदि आयोग के साथ परामर्श करना अपेक्षित नहीं था तो कृपया बनाए गए नियमों की एक प्रति संलग्न करें। प्रस्ताव के साथ नियमों की एक प्रति का. तथा प्र.वि. को भेजी जानी चाहिए।	
	(ङ) यदि पदोन्नति के क्षेत्र के पदों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे ; (i) कृपया संक्षेप में बताएं कि पदों को भरने के लिए वास्तव में कौन सी पद्धति अपनायी गई । कृपया प्रत्येक पद्धति के द्वारा भरी गई रिक्तियों की प्रतिशतता का भी	

	उल्लेख करें । (ii) कृपया पदोन्नति के क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा धारित शैक्षिक योग्यताओं का संक्षेप में उल्लेख करें । (iii) यदि फीडर पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तो निम्नतम पद सहित निम्नतर पद जिनमें सीधी भर्ती, भर्ती का एक तरीका है, से संबंधित भर्ती नियम प्रस्तुत किए जाएं।	
	(च) (i) क्या पदोन्नति चयन या गैर चयन आधार पर की जानी है ?	
	(ii) उपर्युक्त प्रस्ताव (i) के कारण	
	(छ) यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो कृपया इसके गठन का उल्लेख करें ।	
	(ज) कृपया उल्लेख करें कि क्या विचाराधीन चैनल के अलावा फीडर पदों के लिए पदोन्नति के अन्य चैनल मौजूद हैं ।	
7.	यदि पदोन्नति एक पद्धति के रूप में प्रस्तावित नहीं हैं तो कृपया बताएं कि इस पर वांछनीय / संभावित / अनिवार्य के तौर पर विचार क्यों नहीं किया गया।	
8.	यदि सीधी भर्ती, भर्ती की पद्धति के रूप में प्रस्तावित है तो कृपया बताएं	
	क) सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों का प्रतिशत	
	ख) उल्लेख करें कि क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति के अवसर मौजूद हैं ?	
	ग) (i)सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा (भारत सरकार के मौज़ूदा अनुदेशों के अनुसार)	
	(ii) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट है ?	
	घ) सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं (कृपया यह भी नोट कर लिया जाएं कि अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामलों में निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है ?) अनिवार्य वांछनीय	

	ड़) क्या निर्धारित की जाने वाली अनिवार्य योग्यताएं किसी अधिनियम के अनुसार है ? यदि हां तो संगत अधिनियम का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत ये अनिवार्य हैं और अधिनियम से संगत सार भी प्रस्तुत करें।	
	(च) क्या आयोग द्वारा पद को पहले भी विज्ञापित किया गया है ? यदि हां, तो कृपया आयोग की संदर्भ सं. का उल्लेख करें ।	
9.	यदि सीधी भर्ती, भर्ती की पद्धति के तौर पर प्रस्तावित नहीं है, कृपया बताएं कि इस पर वांछनीय / संभावित / अनिवार्य रूप में विचार क्यों नहीं किया गया है ?	
10.	(i) यदि पदोन्नति तथा सीधी भर्ती दोनों भर्ती की पद्धति के तौर पर प्रस्तावित है, क्या सीधी भर्ती के लिए प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी? (ii) यदि नहीं, तो पदोन्नति के मामले में शैक्षिक योग्यताओं में किस सीमा तक छूट दी जानी प्रस्तावित है?	
11.	क) क्या प्रतिनियुक्ति / आमेलन भर्ती की पद्धति के रूप में प्रस्तावित है ? यदि हां तो कृपया इस प्रस्ताव के कारणों का उल्लेख करें । कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या दोनों का प्रस्ताव है ।	
	ख) इस पद्धति के माध्यम से भरी जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों का प्रतिशत	
	ग) प्रतिनियुक्ति अवधि की सीमा	
	घ) ग्रेड या सेवाओं आदि के पदों के नाम जिनसे प्रतिनियुक्ति / आमेलन प्रस्तावित है?	
12.	(क) यदि प्रस्तावित पद्धतियों में से कोई पद्धति सफल नहीं हो पाती है तो ऐसी रिक्तियों को भरे जाने के लिए कौन सी पद्धति अपनायी जाएगी ।	
	(ख) क्या भर्ती नियम किसी ऐसे पद से संबंधित हैं जिसे ग्रुप 'ग' से ग्रुप 'ख' या ग्रुप 'ख' से ग्रुप 'क' या उसी ग्रुप में अपग्रेड किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रारंभिक गठन के लिए आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं ?	
	(ग) क्या भर्ती नियम किसी ऐसे पद से संबंधित है जिनका अवनयन (डाऊन ग्रेड) प्रस्तावित है ? यदि हां,	

	तो क्या इस पद के लिए विद्यमान पदधारकों के संबंध में अपेक्षित सुरक्षा उपाय (सेफगार्ड्स) अपनाए गए हैं ?	
13.	(क) विशेष परिस्थितियां, यदि कोई हों, जिन का उल्लेख नियमों में न किया गया हो, जिनमें आयोग का परामर्श लिया जाना अपेक्षित है ?	
	ख) क्या प्रस्ताव में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सहमति ली गई है ?	
14.	यदि ये प्रस्ताव आयोग से किसी संदर्भ के उत्तर में भेजे जा रहे है, कृपया आयोग की सन्दर्भ सं. का उल्लेख करें।	
15.	मंत्रालय के उस प्रतिनिधि का नाम,पता और दूरभाष सं. जिसके साथ यदि आवश्यक हो, स्पष्टीकरण / शीघ्र निर्णय के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके ।	

प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दूरभाष सं. :

स्थान:
दिनांक :